

पगावली पेश हुमी। वादी व वकील वादी
अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावामी गयी।
आवाज लगावामे के उपरान्त भी वादी की ओर
से कोई उपस्थित नही आया। अतः वादी का
वाद पत्र अदालत हाजरी अदालत पेशी में खारी
किताब जाता है। पगावली फैसल शुमार होकर
नाम्बर के कद होकर दफ्तर दाखिल हो

राजेश्वर सिंह
सहायक न्याय
नीमकाथाना सिपा